रमशी बनाम सरकार

2021/0288

निर्णय दिनांकः–09.05.2023

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2021/0288 दर्ज तिथिः–05.08.2021

1. रमशी पुत्र गणपत उम्र 47 साल
2. धुणीलाल पुत्र गणपत उम्र करीब 56
3. प्रहलाद पुत्र गणपत उम्र करीब 40
4. कोयली पुत्र गणपत उम्र करीब 60
5. लालीदेवी पुत्री गणपत उम्र करीब 42
6. गैंदीदेवी पत्नि गणपत उम्र करीब 85
7. कल्लीराम उर्फ फैलीराम पुत्र काला उम्र 35
8. हनुमान पुत्र काला उम्र 38 साल
9. ग्यारसा पुत्र काला उम्र 45 साल
10. बुद्धिदेवी पत्नि काला उम्र 80 साल

समस्त जाति मीना निवासी दौलतपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर

.................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, थानागाजी तह0 थानागाजी जिला–अलवर।

..................अप्रार्थी

उपस्थित

प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा

अप्रार्थीः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136

भू–राजस्व अधि0–1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena

Date: 2023.05.15 19:44:06 IST

Reason: SelfAttested

निर्णयः–

निर्णय तिथिः–09.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस

प्रकार से है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या–35 वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
कल्ली पुत्र काला	529	0.18 है0
कोयली पुत्री गणपत	534	0.33 है0
गैंदी पत्नि गणपत	535	0.13 है0
धुणीलाल पुत्र गणपत	536	0.14. है0
रमशी पुत्र गणपत	537	0.29 है0
लाली पुत्री गणपत	539	0.23 है0
ग्यारसा पुत्र काला	540	0.23 है0
गिरधारी पुत्र काला	542	0.13 है0
बुद्धि पत्नि काला	543	0.10 है0
लाली पुत्री गणपत	544	0.22 है0
हनुमान पुत्र काला	546	0.15 है0
	547	0.14 है0
	551	0.21 है0
कुल किता–13		2.48

2. उक्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 में प्रार्थीगण की जाति का अंकन ***अंकित नहीं*** है जबकि प्रार्थीगण की अन्य आराजी के साबिक रिकॉर्ड में जाति मीना अंकित है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में जाति का अंकन नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अंत में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति **मीना** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दोहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति **मीना** दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति **मीना** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:06 IST
Reason: SelfAttested

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थीगण की जाति हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रकरण में हाल राजस्व

रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2073–76 के नवीन खाता संख्या 35 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार का नाम	श्रेणी	जाति	खसरा संख्या	रकबा
कल्ली पुत्र काला	खातेदार	अंकित नहीं	529	0.18 है0
कोयली पुत्री गणपत			534	0.33 है0
गैंदी पत्नि गणपत			535	0.13 है0
धुणीलाल पुत्र गणपत			536	0.14. है0
रमशी पुत्र गणपत			537	0.29 है0
लाली पुत्री गणपत			539	0.23 है0
ग्यारसा पुत्र काला			540	0.23 है0
गिरधारी पुत्र काला			542	0.13 है0
बुद्धि पत्नि काला			543	0.10 है0
लाली पुत्री गणपत			544	0.22 है0
हनुमान पुत्र काला			546	0.15 है0
			547	0.14 है0
			551	0.21 है0
कुल किता–13				2.48

5. प्रकरण में प्रार्थीगण की खातेदारी का मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त संवत् 2060 का विवरण इस प्रकार हैः–

बन्दोबस्त संवत् 2060			
खसरा	रकबा	खसरा	रकबा
529	0.18 है0	471	14 बिस्वा
534	0.33 है0	476	1 बीघा 6 बिस्वा
535	0.13 है0	477	10 बिस्वा
536	0.14. है0	478	11 बिस्वा
537	0.29 है0	479	8 बिस्वा
539	0.23 है0	481	18 बिस्वा
540	0.23 है0	482	18 बिस्वा
542	0.13 है0	484	10 बिस्वा
543	0.10 है0	485	8 बिस्वा
544	0.22 है0	[illegible]	5 बिस्वा
546	0.15 है0	[illegible]	12 बिस्वा
547	0.14 है0	489	11 बिस्वा
551	0.21 है0	493	17 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:06 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज रिकॉर्ड अन्य खातेदारी आराजी मुताबिक जमाबंदी संवत 2052 वाके ग्राम दौलतपुरा खाता संख्या 16 का विवरण इस प्रकार हैः–

<table>
<tr><th>खातेदार का नाम</th><th>श्रेणी</th><th>जाति</th><th>खसरा संख्या</th><th>रकबा</th></tr>
<tr><td rowspan="8">ग्यारसा हनुमान गिरधारी कली पिसरान काला, मु0 बुद्धि बेवा काला हिस्सा–1/2 गणपत पुत्र खांजला कौम मीना हिस्सा–1/2 साकिन देह</td><td rowspan="8">खातेदार</td><td rowspan="8">मीना</td><td>472</td><td>11 बिस्वा</td></tr>
<tr><td>473</td><td>16 बिस्वा</td></tr>
<tr><td>474</td><td>4 बीघा 15 बिस्वा</td></tr>
<tr><td>475</td><td>06 बिस्वा</td></tr>
<tr><td>480</td><td>12 बिस्वा</td></tr>
<tr><td>483</td><td>05 बिस्वा</td></tr>
<tr><td>487</td><td>11 बिस्वा</td></tr>
<tr><td>490</td><td>03 बिस्वा</td></tr>
</table>

इस प्रकार मुताबिक जमाबंदी संवत 2052 वाके ग्राम दौलतपुरा खाता संख्या 16 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित हाल आराजी के साबिक खसरा संख्या मुताबिक बिन्दु संख्या–6 के अनुसार प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थीगण के पूर्वजों की जाति **मीना** अंकित है।

7. इसके साथ ही प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी की रिपोर्ट का प्रासंगिक विवरण निम्न प्रकार हैः–

> *प्रार्थना–पत्र में आवेदित तथ्यों/शुद्धि के संबंध में मजमेआम के समक्ष जांच की गई। जिसमें सभी खातेदारों की जाति मीना बताया गया।*

8. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors.*** *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or registers which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is detected by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:06 IST
Reason: SelfAttested

inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

9. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

10. इसके साथ ही प्रकरण में जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज की प्रविष्टि में हुई त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण जमाबंदी की तैयारी एवं जमाबंदी में दर्ज किये जाने वाले विवरण में हुई त्रुटि से संबंधित है। अतः जमाबंदी की तैयारी एवं जमाबंदी में दर्ज किये जाने वाले विवरण के संदर्भ में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के अध्याय–7 (सर्वे एवं रिकॉर्ड प्रक्रिया) में प्रावधान बनाये गए है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के अध्याय–7 (सर्वे एवं रिकॉर्ड प्रक्रिया) के भाग–घ की धारा–113 तथा 114 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

D. Record of Rights

113. Preparation of record of rights. *- In respect of every local area under survey and record operations or only under record operations the Land Records Officer shall frame for each village or portion of a village comprised therein a record of rights.*

114. Contents of record of rights. *- The record of rights shall be prepared in such, manner as may be prescribed by the State Government and shall consist of the following, namely —*

(a) a khewat, that is to say, a register of all estate-holders in the area under survey and record operations or under record operations, specifying the nature and extent of the interest of each and his sharers, mortgages in possession and persons holding land from him otherwise than as tenants, if any;

(b) a khatauni, that is to say, a register of all persons cultivating or otherwise holding or occupying land in such area, specifying the particulars required by section 121;

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:06 IST
Reason: SelfAttested

(c) a register of all persons holding land in such area free of rent or revenue; and
(d) such other registers as may be prescribed.

11. उक्त संदर्भित प्रकरण जमाबंदी की तैयारी एवं जमाबंदी में दर्ज किये जाने वाले विवरण में हुई त्रुटि से संबंधित है। अतः जमाबंदी की तैयारी एवं जमाबंदी में दर्ज किये जाने वाले विवरण के संदर्भ में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के अध्याय—7 (सर्वे एवं रिकॉर्ड प्रक्रिया) के भाग—घ की धारा—121 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***121. Particulars to be stated in khatauni***. *- (1) The register of persons cultivating or otherwise holding or occupying land, prescribed by clause (b) of section 114, shall specify as to each tenant the following particulars, namely: -*
> *(a) <u>the nature and class of his tenure</u> as determined in accordance with the provisions of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 Rajasthan Act 3 of 1955) or any other law or enactment for the time being in force in the whole or any part of me State,*
> *(b) the amount of premium, if any, paid by him for the acquisition of khatedari rights,*
> *(c) the date of the khatedari parcha, and the transfers, if any, made by him, together with all the particulars of such transfers,*
> *(d) the khasra number of each filed comprised in his holding and the area thereof,*
> *(e) the annual rent payable by him,*
> *(f) any other condition of the tenure whether contained in a written lease or not,*
> *<u>(g) the case of a person other than a khatedar tenant, the number of years during which he has held the land then in his possession</u>, and*
> *(h) such other particulars as may from time to time be prescribed.*
> *(2) The register shall also specify the estate-holders (if any) holding land as Khudkasht in accordance with the provisions of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955) (or any other law or enactment for the time being in force in the whole or any part of the State, and shall state with respect to such land the number of years during which they have so held it.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:06 IST
Reason: SelfAttested

12. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के अध्याय–7 (सर्वे एवं रिकॉर्ड प्रक्रिया) के भाग–घ की धारा–121 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–121 की उपधारा–1 के उपबंध–क के अनुसार खातेदार की श्रेणी व प्रकृति का जमाबंदी में इन्द्राज किया जाएगा। साथ ही धारा–121 की उपधारा–1 के उपबंध–छ के अनुसार खातेदार के अलावा कब्जाधारी व्यक्ति के कब्जाधारण करने के वर्षों का भी जमाबंदी में इन्द्राज किया जाएगा। इस प्रकार जमाबंदी में इन्द्राज संबंधी उक्त प्रावधान बनाये गए है।

13. जमाबंदी की तैयारी एवं जमाबंदी में दर्ज किये जाने वाले विवरण के संदर्भ में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के अध्याय–7 (सर्वे एवं रिकॉर्ड प्रक्रिया) के भाग–घ की धारा–113 तथा 114 तथा धारा–121 के प्रावधानों के तहत प्रक्रिया के निर्धारण हेतु राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–153 बनाये गये हैं। जिनका उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***153. Jamabandi (Khewat Khatauni) Form P-26*** *.- The Jamabandi shall be quadrennial in Form P 26 (of section 1 14 and 132 of the Rajasthan Land Revenue Act. 1956). It shall record the names of all persons who are liable to pay land revenue or rent and who cultivate any land or are in their possession in any other way together with the nature of their tenure and interest in land:*
>
> *Provided that in the areas notified by the State Government under Rule 118-A, the computerized Jamabandi shall be generated every four years in Form No.P-26 (of Sec. 114 and 132 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956). It shall not record the names of tenants in alphabetical order but the software shall have the facility to randomly search any name of all the people liable to pay land revenue or rent and who cultivate any land or have the possession in any other way. The nature of the tenancy and interest in land of all the tenants shall also be entered in Form No.P-26.*

14. जमाबंदी की तैयारी एवं जमाबंदी में दर्ज किये जाने वाले विवरण के संदर्भ में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के अध्याय–7 (सर्वे एवं रिकॉर्ड प्रक्रिया) के भाग–घ की धारा–113 तथा 114 तथा धारा–121 के प्रावधानों के तहत प्रक्रिया के निर्धारण हेतु राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–164 बनाया गया हैं। जिसके तहत जमाबंदी के प्रत्येक कॉलम में इन्द्राज की जाने वाली प्रविष्टियों के बारे में निर्देश दिये गये है। राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–164 के नोट का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:06 IST
Reason: SelfAttested

Note. *The arrangement of holdings under each of the classes mentioned above will be in alphabetical order For filing the columns of the Jamabandi, the following instructions are to be followed;*

(1) Column No. 1 & 2. - In these columns entries are to be made as per new and old number of Khatauni respectively.

(2) <u>Column No. 3. - Entries in this column shall be made in accordance with the instructions regarding entries to be made in column No 5 of Khasra Girdawari.</u>

(3) Column No. 4. - The field or Khasra number given to the field in the village map (Shajra Kistwar) should be enter and it should correspond with the entries in the Khasra Girdawari. Instructions regarding entries in the corresponding columns of the Khasra Girdawari may also he borne in mind.

(4) Column No. 5. - For entry in this column refer to the instructions regarding column 2 of the Khasra Girdawari.

(5) Column No. 6. (i) Reference may be made to the instructions pertaining to the entry of soil class in the Khasra Girdawari.

(ii) The soil description in the Jamabandi is intended to show the permanent method of husbandry applied to each field and not the condition applicable to any particular harvest or harvests The soil entry must, therefore, be changed, where, but only where, a permanent change has occurred, for example, by the cultivation of land which was previously current fallow or old fallow or by the conversion of "Barani" land into "Chahi" owing to the sinking of a new well. Ordinarily, changes in soil classification, need be made in the year of quadrennial attestation only, but in the case of changes from uncultivated to cultivated land, the change of classification must be made in the next Jamabandi whether this is done after the quadrennial attestation or not The soil class of settlement should invariably be entered and should be followed by the change in classification.

(6) Column No. 7. - In this column the sources of irrigation should be indicated.

(7) Column No. 8 & 9. - (i) These columns are meant for the entry of rent and other charges payable by the cultivator. In column 8, the details of the various heads under which rent and other charges approved by Government are paid by a cultivator, are to be shown alongwith the rate if any against each item in Column 8 the amount chargeable should be shown in Column 9.

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.06.15 16:44:06 IST
Reason: SelfAttested

(ii) Where a part of a holding pays at one rate and part at another it should be seem that areas and other relevant data ai given insufficient details: similar care should be taken regarding the entry of rents paid on particular crops viz. "Zabti" or "Bigodhi" rents.
(iii) Where no rent is paid by a person in possession (other than the estate-holder), the reason for non-payment of rent is to be briefly explained. If the fact is undisputed as explained above, the entry of no rent, except that of a claim to adverse possession, should not be made. If the fact is that the possession is adverse the entry should be of "Gair Qabiz". If the fact is that he is a tenant, then, if the rent can not be ascertain, it should be recorded as doubtful.
(8) Column No. 10 to 15. - In case there is any change in the the rights of the tenant necessary entry in the particular samvat should be made. In case there is no change "Badastoor' word should be written:
[Provided that in the areas notified by the State Government under Rule 118-A, as the new/change khatas generate as a regular process automatically on line and same shall be checked and digitally signed by the Inspector Land Record, and the Office Quanungo shall verify the entries of the new/changed khata at the specified place in the computer.]

15. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–164 के नोट के बिन्दु–2 के अनुसार जमाबंदी के कॉलम संख्या–3 में इन्द्राज की जाने वाली प्रविष्टि खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या–5 के अनुसार प्रविष्ट की जावेगी। खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या–05 में इन्द्राज की जाने वाली प्रविष्टियों के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–73 लगायत 75 बनाये गये हैं। जिनका उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

Column 5

73. Name of Jagirdar, Sub-Jagirdar, owners etc. - (i) The name of tenant or a person who holds land from the Government or from an estate holder and who is or would be, but for a contract express or implied, liable to pay rent for his holding, will be entered in this column, along with the parentage, caste, residence and class of the tenancy.

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:06 IST
Reason: SelfAttested

(ii) The period for which the cultivator has been in possession shall also be entered in this column after the name, parentage, etc. If the exact period of cultivation is not known and the tenant has been in possession for

a long time the term of possession will be entered as "Qadim".

(iii) In the event of any plot being mortgaged by the tenant with another person, the period of mortgage with dates shall also be entered in this column and the name of the former (with his class of tenancy) will be entered as mortgagor and will be foil owed-by the name of the latter as mortgagee. If the mortgagee has further mortgaged the plot to a third person and so on, only names of the mortgagor and the last mortgagee shall be recorded. In case the mortgagee has given the plot for cultivation to some other cultivator, either the name of such cultivator shall be entered in red ink in this very column after the mortgagee or if the cultivator has given the land for cultivation to any other cultivator, the latter's name will be written in place of the former.

(iv) The names of cultivators of 'Shamlat' village lands shall also be recorded in this column.

(v) When a tenant stops cultivating the land of his Khata or stops getting it cultivated by some other cultivator & leaves the neighbourhood without making any arrangements for the payment of rent payable by him and does not give notice of it to the Tehsildar in writing, (vide section 60 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955), the Patwari shall enter the word '**Mafrur** in red ink after the name of such tenant with the harvest and the year of abandonment.

74. Ghair-khatedar Tenant. - The name of the Gair-khatedar tenant if any, will also be entered with particulars in this column.

75. Sub-tenants. - The name of the sub-tenant if any, will be entered with particulars like parentage, caste, residence etc., and terms of cultivation in this column.

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:06 IST
Reason: SelfAttested

13. उपरोक्त खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या 5 में इन्द्राज की जाने वाली प्रविष्टियों के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–73 लगायत 75 [illegible] खातेदार के इन्द्राज के संबंध में प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

1. राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–73 के उपनियम–1 के अनुसार खातेदार का नाम, वल्दियत, **<u>जाति</u>**, निवास तथा खातेदार की श्रेणी का अंकन जमाबंदी में किये जाने के प्रावधान हैं।

14. इस प्रकार खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या–05 में इन्द्राज की जाने वाली प्रविष्टियों के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–73 लगायत 75 तथा जमाबंदी के कॉलम संख्या–03 में इन्द्राज की जाने वाली प्रविष्टियों के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–164 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या–05 में तथा जमाबंदी के कॉलम संख्या–03 में खातेदार की जाति का अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड संधारित किया जाना आवश्यक है।

15. उक्त राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में हाल राजस्व रिकॉर्ड में जाति अंकित नहीं है। इस प्रकार खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या–05 में इन्द्राज की जाने वाली प्रविष्टियों के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–73 लगायत 75 तथा जमाबंदी के कॉलम संख्या–03 में इन्द्राज की जाने वाली प्रविष्टियों के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–164 के अनुसार खातेदार की जाति का अंकन नही कर गलत राजस्व रिकॉर्ड संधारित किया गया है। यह गलत राजस्व रिकॉर्ड काबिल–ए–दुरूस्त है। प्रकरण में मुताबिक बंदोबस्त संवत् 2060 मिलान क्षेत्रफल प्रार्थीगण की आराजी का विवरण बिन्दु संख्या–4 के अनुसार है। बिन्दु संख्या–6 के अनुसार प्रार्थीगण की अन्य खातेदारी आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति मीना अंकित है। उक्त जाति का अंकन के समान अंकन बाद के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी के अन्य खातों में नहीं किया गया है। इस प्रकार विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की जाति साबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मीना को प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी के अन्य खातों में भी अंकन किया जाना चाहिए था। परन्तु अन्य खातों के राजस्व रिकॉर्ड में जाति संबंधी राजस्व इन्द्राज को रिक्त छोड़ दिया गया। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या–05 में इन्द्राज की जाने वाली प्रविष्टियों के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–73 लगायत 75 तथा जमाबंदी के कॉलम संख्या–03 में इन्द्राज की जाने वाली प्रविष्टियों के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–164 के अनुसार खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या–05 में तथा जमाबंदी के कॉलम संख्या–03 में खातेदार की जाति मीना का अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड संधारित किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबिक रिकॉर्ड से साबित होने तथा नियमानुसार होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:06 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

*प्राथी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 साबिक रिकॉर्ड से साबित होने तथा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के द्वारा निर्धारित राजस्व रिकॉर्ड के प्रारूप के अनुसार होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या–05 में इन्द्राज की जाने वाली प्रविष्टियों के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–73 लगायत 75 तथा जमाबंदी के कॉलम संख्या–03 में इन्द्राज की जाने वाली प्रविष्टियों के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–164 के अनुसार खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या–05 में तथा जमाबंदी के कॉलम संख्या–03 में खातेदार की जाति **मीना** का अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड संधारित किया करने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।*

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 09.05.2023 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:06 IST
Reason: SelfAttested